प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 02.08.2024

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी मो0सा0 स्पलेन्डर बरामद।

दिनांक 01-08-24 को वादी श्री चन्द्र पुन हरिचन्द झग्गी नं 85 मजनू का टीला थाना सिवल लाईन दिल्ली ने सूचना दी कि कल दिनांक 31-07-24 की शाम को मेरी मो0सा0 स्पलेन्डर रजि नं0 DL8SDB7855 आश्रम रोड के पास से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गयी है, उक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पर वादी की तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत की गया।

दिनांक 02-08-24 को मुखबिर की सूचना पर हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन पार्किंग से हिंडन विहार जाने वाली कच्ची रोड पर चेकिंग के दौरान थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे आश्रम रोड के पास से चोरी कि गयी मो0सा0 स्पलेन्डर रजि नं0 DL8SDB7855 बरामद की गई। अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तों का नाम व पता--

1. आकाश तोमर पुत्र श्याम सिंह तोमर उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी 261, राधा कुंज II, नन्दग्राम, गाजियाबाद

2.अलेक्स सोरेंग पुत्र प्रफुल्ल सोरेंग उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी एफ 626, नन्दग्राम, थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद।

3. अजय कुमार पुत्र रमेश कुमार उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी सी 1229, नन्दग्राम, थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तों द्वारा पूछताछ पर बताया कि हमने यह मो0सा0 स्पलेन्डर दिनांक 31-07-24 को शाम के समय आश्रम रोड दीनदयालपुरी पर सडक किनारे से चोरी की थी। आज इसे बेचने के लिए निकले थे। हम लोग नशे के आदी है और चोरी चकारी करके अपना शौक पूरा करते है।

बरामदगी का विवरण—

01 मो0सा0 स्पलेन्डर रजि0नं0 DL8SDB7855

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अपनी लाइसेन्सी पिस्टल से फायर करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फैक्ट्रीमेड लाइसेन्सी पिस्टल. 32 बोर व एक जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद ।

दिनांक 31.07.2024 की रात्रि को सूचना मिली कि एक व्यक्ति पवन गुप्ता पुत्र स्व0 पदम चन्द गुप्ता निवासी रेलवे रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद ने अपनी लाइसेन्सी पिस्टल से जगदम्बा ऑप्टिकल्स की दुकान के सामने एक गोली फायर कर दी और वहां से चला गया, तत्काल सूचना पर थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चेकिंग की गयी। तत्पश्चात दिनांक 01-08-2024 की रात्रि में चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अपनी लाइसेन्सी पिस्टल से फायर करने वाले व्यक्ति पवन गुप्ता उम्र 41 वर्ष पुत्र स्व0 पदम चन्द गुप्ता निवासी रेलवे रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद को मेरठ रोड पर सुलभ शौचालय के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से फैक्ट्रीमेड लाइसेन्सी पिस्टल. 32 बोर व एक जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद किया। अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, घटना के संबंध में अन्य साक्ष्य संकलित करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ पर अभियुक्त ने अपने बचाव में बताया कि मैं दिनांक 31.07.2024 की रात्रि समय करीब 08.00 बजे जगदम्बा आप्टिकल दुकान के पास खड़ा था । मेरे पास मेरी लाइसेन्सी पिस्टल थी मुझसे धोखे से जगदम्बा आप्टिकल दुकान के पास पिस्टल से फायर हो गया था जिससे मैं पुलिस के डर से वहां से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

पवन गुप्ता उम्र 41 वर्ष पुत्र स्व0 पदम चन्द गुप्ता निवासी रेलवे रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

फैक्ट्रीमेड लाइसेन्सी पिस्टल. 32 बोर व एक जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद ।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर धारा-125 बीएनएस व 27/30 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना मधुबन बापुधाम पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग का अनावरण कर 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 30.07.24 को वादी श्री प्रदीप कुमार S/O श्री भोपाल सिंह निवासी आदर्श नगर नन्दग्राम गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 29/07/2024 सुबह 07.45 AM पर मेरे पिताजी श्री भोपाल सिंह S/O फूल सिंह गाँव मैनापुर में मकान मालिक सोनू S/O गुलवीर (उर्फ गुल्लू) निवासी मैनापुर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद के यहाँ काम करने के लिए गए। जब वह शाम 06.00 PM तक घर नहीं पहुँचे तो हमने जानकारी करने प्रयास किया। अपने पिताजी को को बार-बार काल की लेकिन कोई जबाब नही मिला। जानकारी न मिलने पर हमने मकान मालिक सोनू S/O गुलवीर सिंह (उर्फ गुल्लू) से सम्पर्क हुआ। सम्पर्क करने पर सोनू ने बताया । आपके पिताजी हमारे मकान की छत कर मृत अवस्था में पडे है। जहाँ वह कार्य कर रहे है तथा उनकी

बाइक (UP14CA2950) प्रदीप कुमार S/O भोपाल सिंह के नाम है जो यहाँ पर नहीं है। मेरी मम्मी महेश द्वारा मकान मालिक सोनू से पैसों के लिए बात हुई। जो मेरे पिताजी ने मकान बनाए थे। लेकिन उसका कोई जबाब नहीं मिला। वो पैसे देने के लिए मना कर रहा है। शायद इसी कारण से सोनू, मोहित, निधि, बेबी W/O सोनू आदि नें वादी के पिताजी की हत्या दी है। जिसपर तत्काल थाना मधुबन बापूधाम पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व खुलासे के सम्बन्ध में तत्समय टीमे गठित की गयी थी जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेजो का लगातार गहन विश्लेषण मैनुवल इंटेलिजेंस, गहन पूछताछ एवं अन्य सूत्रो से जानकारी कर घटना का खुलासा किया गया। जिसमे दिनांक 02.08.2024 को प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को मैनापुर फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम पता अभियुक्त</u> –

अनस सैफी पुत्र शहाबुद्दीन सैफी उर्फ सोनू सैफी निवासी भूडबढाल थाना परतापुर जनपद मेरठ

पूछताछ विवरण- पूछताछ करने पर अभियुक्त अनस सैफी उपरोक्त नें बताया कि मै मेरठ से अपने दोस्त शिवम के पास करीब दो माह पहले गुलधर में आ गया और हनुमान मन्दिर संजयनगर चौराहे पर अपने दोस्त के साथ मजदूरी के लिये जाने लगा और मैं भी जगह - जगह मजदूरी व बेलदारी करने लगा। दिनांक 26.07.2024 को सुबह के समय राज मिस्त्री हनुमान मन्दिर पर आये और मुझे 600 रु0 प्रतिदिन की झाड़ी के हिसाब से लेवर का काम करने के लिये बुलाकर गांव मैनापुर में सोनू के मकान पर ले गये। मैं वहां काम करने लगा दिनांक 29.07.2024 को मैं सोनू के मकान पर काम करने पैदल पैदल समय करीब 9 बजे के लगभग आया था। मिस्त्री भोपाल सिंह मकान पर मौजूद थे उसी समय मकान मालिक सोनू वहां आ गये थे और मुझे सोनू अपनी बाइक पर बैठाकर अपने घर डस्ट लेने के लिये चले गये थे हमारे पीछे पीछे भोपाल मिस्त्री पैदल पैदल सोनू के घर पर पहुंच गये थे डस्ट की बोरी लेकर सोनू मोटर साइकिल पर मुझे बैठाकर वापस मकान पर ले आये सोनू ने मुझसे कहा कि तुम व मिस्त्री भोपाल आ रहे है दोनो मिलकर मसाला बना लेना वारिश का समय है देखकर मसाला बनाना। मैं पेड़ के नीचे जहां मिस्त्री भोपाल की मोटरसाइकिल खड़ी थी वहां बैठ गया था। थोड़ी देर में मिस्त्री भोपाल पैदल पैदल सोनू के घर से वापस आ गये। मिस्त्री को देखकर मैं पेड़ के नीचे से उठकर निर्माणाधीन मकान के छत पर आ गया और मसाला बनाने लगा मिस्त्री भोपाल मुझे देखकर आग बबूला हो गया था और मुझे मां बहन की भद्दी भद्दी गालिया दी। इसलिये तुम्हे कोई काम पर नही ले जाता है अभी तक बैठा है मसाला नही बनाया है मैने उनसे मां बहन की गाली देने के लिये बार बार मना किया और मिस्त्री मुझे गाली देते ही चले जा रहे थे। मैने गुस्से में आकर जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए मिस्त्री को बोला आज तुझे बताता हूं मैने हाथ में लिये फावड़े से मैने उसके ऊपर तीन-चार वार किये मिस्त्री जमीन पर गिर गया। मैं घबरा गया और फावड़े को वही नीचे कमरे में छुपाकर पेड़ के नीचे खड़ी मिस्त्री भोपाल की मोटरसाइकिल को लेकर वहां से भाग गया था। मैं अब तक गुलधर में छिपकर रह रहा था आज मैं पुलिस के डर से अपने गांव इसी मोटरसाइकिल से वापस जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया ।

बरामदगी का विवरण

1.एक मोटरसाईकिल
2.01 फावड़ा (आलाकत्ल)

गिरफ्तार करने वाली टीम

पुलिस टीम थाना मधुबन बापूधाम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद